जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय युवा उत्सव का किया शुभारंभ

नवादा। कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार तथा जिला प्रशासन, नवादा के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय युवा उत्सव-2026 का शुभारंभ केएलएस कॉलेज, नवादा स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी, नवादा रवि प्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। यह उत्सव 29 एवं 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिले के युवाओं की कलात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना तथा कला, संगीत एवं अन्य प्रदर्शन कलाओं को प्रोत्साहित करना है। महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 29.10.2026 को समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जबकि 30.10.2026 को नुक्कड़ नाटक, कविता लेखन एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि गायन, नृत्य, संगीत सहित विभिन्न कलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कला एवं संस्कृति न केवल हमारी परंपराओं और विरासत को संरक्षित करती हैं, बल्कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने, सकारात्मक सोच विकसित करने तथा उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सामने लाने में भी सहायक होती हैं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें उचित अवसर, मार्गदर्शन एवं मंच उपलब्ध कराया जाए। जिला स्तरीय युवा उत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और अपनी कला को नई पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कला के क्षेत्र में भी बेहतर करियर निर्माण की व्यापक संभावनाएं उपलब्ध हैं। गायन, नृत्य, संगीत, चित्रकला, नाटक एवं अन्य रचनात्मक विधाओं में प्रतिभाशाली युवा अपनी रुचि और कौशल के बल पर न केवल अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, बल्कि रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है कि युवा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर प्रयास करें और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा कलाकारों को पेंशन प्रदान करने की योजना संचालित की जा रही है। जिले में विभिन्न कलाकारों को भी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।इससे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों में छिपी कलात्मक प्रतिभा को पहचानें तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, गोपनीय शाखा प्रभारी, प्रभारी जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) तथा केएलएस कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य पदाधिकारी, प्रतिभागी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

जिला बाल संरक्षण इकाई, शेखपुरा

(समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना)

(बाल कल्याण समिति, शेखपुरा के आदेशानुसार भुला-भटका बालक की सूचना)



1. काल्पनिक नाम : मो0 निहाल
2. उम्र/जन्म तिथि : 13 वर्ष (लगभग)
3. रंग : काला/सांवला
4. प्राप्ति तिथि : 13.10.2026
5. प्राप्ति स्थल : अरियरी थानान्तगर्त, कसार रोड में घुमते हुए।
6. पिता/माता : मो0 जुबैर
7. पता : ग्राम-मटोखर, जिला-शेखपुरा (बिहार)

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त वर्णित बच्चे के माता पिता/अभिभावक/परिजन बच्चे के विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 60 दिनों के अन्दर साक्ष्य के साथ अपना दावा, **बृहद आश्रय गृह (बालक) युनिट-01 नवादा, एवं बाल कल्याण समिति, शेखपुरा** (पता-स्टेशन रोड, ट्रेनिंग स्कूल के पास **7857010853, 8210396627, 7004782152**) के समक्ष प्रस्तुत करें।

नोट :- उपरोक्त वर्णित समयावधि के उपरान्त कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं बच्चे को दत्तकग्रहण दिशा-निर्देश, 2017 के प्रावधानुसार उपयुक्त दंपति को गोद दे दिया जायेगा।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
शेखपुरा

PR- 014413 (B & C) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मोतिहारी।

केवल ई0 निविदा पद्धति के अनुसार बेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर

अल्पकालीन पुनः ई0 निविदा आमंत्रण सूचना (S.B.D System)

ई0 पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0 – 17/2026–27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मोतिहारी।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- दिनांक- 22.10.2026
3. निविदा डाउनलोड एवं अपलोड की तिथि एवं समय :- दिनांक- 04.11.2026 से 30.11.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।
4. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 01.12.2026 को 03:30 बजे अपराहन्।
5. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 15.12.2026 को 04.00 बजे अपराहन्।
6. प्री-विड मीटींग की तिथि समय एवं स्थान :- (i) दिनांक-20/11/2026 को 03:00 बजे अपराहन् मुख्य अभियंता (उ0) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में। (ii) दिनांक-17/11/2026 को 03:00 बजे अपराहन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी के कार्यालय कक्ष में।
7. निविदा पत्र बिक्री का स्थान :- बेबसाईट (https:/eproc 2.bihar.gov.in) पर।
8. निविदा बैद्यता की अवधि :- 120 दिन।
9. कार्य का विवरणी :-

क0 सं0	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	निविदा कागजात का मुल्य (अप्रत्यपणीय) (रूपये)	Bid processing Charge+ Service Tax	कार्य समाप्ति की अवधि
1	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखण्ड के ग्राम करिया मौजा करिया, ग्राम बड़हरवाकला पश्चिम मौजा बड़हरवाकला एवं ग्राम भोपतपुर उत्तरी मौजा भोपतपुर में कुल 03 अदद् पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य (विद्युतीकरण सहित)।	7,54,89,091.00	15,90,800.00	10,000.00	As per website	12 माह।

11. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (https:/eproc 2.bihar.gov.in/EPSV2web/) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा से प्रकिया से संबंधित जानकारी ई- प्रोक्युरमेन्ट हेल्पडेस्क, Toll Free Number: 18005726571, Email ID: eproc2support@bihar.gov.in. working Hours : 8Am to 7PM (all days in week except few selected state holidays) से प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR- 014241 (B C D) 2026-27

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, मोतिहारी।

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

जिला स्तरीय किसान मेला सह-प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ

नवादा। कृषि विभाग, नवादा के तत्वावधान में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), नवादा द्वारा आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला-सह-प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, नवादा अजीत प्रकाश ने किया। मेला जिला कृषि प्रक्षेत्र, शोभिया, नवादा में आयोजित किया जा रहा है, जो 30 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। मेले में जिले के सभी 14 प्रखंडों के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। किसानों द्वारा उन्नत कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि एवं संबद्ध विभागों के स्टॉल के माध्यम से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदान तथा आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक रविकांत चौबे एवं अगंद कुमार ने किसानों को रबी फसलों की उन्नत खेती, कीट-व्याधि प्रबंधन तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। सिरदला प्रखंड के युवा किसान अनुराग कुमार ने फसल विविधीकरण के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली एवं मल्टीलेयर फार्मिंग की जानकारी दी। वहीं, रोह प्रखंड के युवा किसान श्री गुरु सरंग ने बकरी पालन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारी कार्यों एवं अपने अनुभवों को साझा किया। मेले के प्रथम दिन जिले के आठ प्रखंडों से आए किसानों ने भाग लिया तथा कृषि वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों से कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम में कृषि अभियंत्रण, उद्यान, भूमि संरक्षण, बीज उत्पादन एवं विपणन, प्रक्षेत्र, बीज विश्लेषण तथा मिट्टी जांच सहित कृषि विभाग के विभिन्न पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकार उपस्थित रहे।

नीरज कुमार की जीत पर बांटी मिठाई

नवादा। पटना स्नातक चुनाव में नीरज कुमार को चौथीबार जीत पर नारदीगंज में पार्टी के कार्यकर्ता समर्थको ने खुशी जाहिर किया। आपस में सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाएं एवं नीरज कुमार के ऐतिहासिक जीत पर सभी ने माननीय नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, निशांत कुमार, संजय झा एवं पार्टी के सभी नेताओं को बधाई दिए पार्टी कार्यकर्ता जिला महासचिव प्रिया रंजन सिंह, विनय कुमार, प्रखंड अध्यक्ष जयराम प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड कार्यकारणी के सदस्य अनीश कुमार, नवलेश कुमार, मनोज सिंह, विकास कुमार, शंभू मालाकार, चितरंजन सिंह एवं पार्टी की कई वरिष्ठ कार्य करता पार्टी के सदस्य सभी ने मिलकर नवादा जिला नेतृत्व करता राजीव रंजन, दीपक कुमार मुन्ना को भी बधाई दिए।

मकनपुर में नई चीनी मिल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त

नवादा के विकास को मिलेगी नयी गति : विवेक ठाकुर

नवादा। भाजपा नेता एवं नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि बिहार कैबिनेट द्वारा नवादा जिले के वारिसलीगंज अंचल अंतर्गत मकनपुर में नई चीनी मिल तथा गन्ने के उपोत्पादों (क्व-श्रह्मस्रह्वष्ह्ल) पर आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई पी एल), नई दिल्ली को बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान करने की स्वीकृति दिया जाना नवादा के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्थापना के लिए सांसद विवेक ठाकुर ने विगत दिनों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर नवादा में प्रस्तावित चीनी मिल के संचालन का दायित्व इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई पी एल) को सौंपने का आग्रह किया था। इस दिशा में सकारात्मक पहल एवं सहमति के लिए सांसद ने समस्त नवादा लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। सांसद विवेक ठाकुर ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं बिहार की एनडीए सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद विवेक ठाकुर ने कहा मकनपुर में चीनी मिल की स्थापना से नवादा सहित आसपास के जिलों के गन्ना किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, गन्ने के उपोत्पादों पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, युवाओं को लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

सुहागिनों ने आस्था के साथ रखा करवा चौथ का व्रत

कौआकोल (नवादा) (संसू)। गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा। इस अवसर पर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही महिलाएं व्रत की तैयारियों में जुटी रहीं। पारंपरिक परिधानों और सोलह श्रृंगार से सजी महिलाओं ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की। करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं ने दिनभर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। शाम को महिलाओं ने एकत्रित होकर करवा चौथ की कथा सुनी और विधि-विधान से पूजा की। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य अर्पित किया और अपने पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया।

लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो अपराधी गिरफ्तार

हिसुआ (नवादा) (संसू)। थाना क्षेत्र अंतर्गत कचहरी रोड में स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट और फायरिंग की घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ग़ौरतलब हो कि 06 अक्टूबर को शाम करीब 7ः00 बजे कचहरी रोड में अज्ञात अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था और विरोध करने पर फायरिंग भी की थी। इस संबंध में पीड़ित प्रमोद कुमार पिता दशरथ प्रसाद सूड़ी टोला गौसिया स्थान, हिसुआ निवासी के लिखित आवेदन पर हिसुआ थाना कांड संख्या-567/26, दिनांक-08 अक्टूबर को, धारा-309(4) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2, नवादा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में थानाध्यक्ष हिसुआ, डीआईयू टीम नवादा एवं अन्य पदाधिकारियों को शामिल किया गया। तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई। 28 अक्टूबर को छापेमारी कर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विकास साव उर्फ दुन्नू, उम्र-करीब 35 वर्ष पिता सुरेश साव हिसुआ तेली टोला एवं चंदन कुमार पिता विरेन्द्र प्रसाद हिसुआ राजगीर रोड हिसुआ निवासी बताया गया। अपराधिक मामलों में आरोपी था संलिप्त = विकास साव का नगर थाना कांड संख्या-853/20, 17.09.2020, धारा-379/511 भादवि 02. SPL SC/ST (POA) JUDGE NAWADA, C.N-xww/v}, SPL SC/ST-18/18 वहीं चंदन कुमार का हिसुआ थाना कांड संख्या-657/24, 01.11.2024, धारा-303(2)/317(2) बीएनएस 02. सीतामढ़ी थाना कांड संख्या-74/26, 05.07.2026, धारा-310(2) बीएनएस दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से दो बाइक, दो देशी कट्टा, 1100/- रुपया नगद द्व दो मोबाईल बरामद किया है। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, डीआईयू टीम नवादा, पु.अ.नि. परदेशी कुमार, पु.अ.नि. संदीप कुमार राय, सिपाही श्याम पासवान, मनीष कुमार, कुमारी कंचन कली शामिल थी।

OFFICERS TRAINING ACADEMY,PAHARPUR,GAYA(BIHAR)

NOTICE INVITING APPLICATION NO 42971/QM/GCS CLO/QM DATED 30 OCT 2026

1. Officers Training Academy, Gaya (Bihar), invites applications from reputed and experienced vendors for providing 02(Two) types of Army uniform Shoes(Boot High Ankle with Toe Cap & Brogue Shoes) for approximately 750 Officer Cadets undergoing training each year. Details of Army Uniform Shoes can be obtained from Office of QM, OTA, Gaya. For further query contact Quarter Master, OTA, Gaya on Mob No 7665433605.

2. **Eligibility Criteria is mentioned as follows :-**

2.1 Vendor should have minimum three years experience of Army Uniform Shoes,Manufacturing,provisioning/supplying of Army Uniform Shoes for Officer Cadets and all ranks.

2.2 Applicants will enclose following documents along with application:-

2.2.1 Income Tax Return Certificate last 3 years.

2.2.2 Residential Proof/Voter ID and 01 x Passport Size colour photograph.

2.2.3 Bank Account Details.

2.2.4 PAN Card.

2.2.5 TIN/GST along with registration certificate.

2.2.6 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) & Make In India (MII) Certificate where applicable.

2.2.7 Police verification (Character Certificate).

2.2.8 Experience Certificate from military authority/ institutions.

2.3 Vendor applying should have his own manufacturing plant for Army Uniforms Shoes. Capacity verification will be done by Board of Officer for checking the same.

2.4 Other details of Army Uniform Shoes required to be supplied may be obtained by vendors from QM OTA Gaya on phone (Contact No. mentioned in Paragraph1).

2.5 Company should not have been blacklisted by any government organization and there should not be any police case against the vendor. A vendor found to be applying for contract by creating proxy firms under different names will be disqualified and blacklisted.

2.6 Technical Specifications and design of Army Uniform Shoes will be discussed and specified to the vendor in a pre bid meeting with a Board of Officers(BOO).Army Uniform Shoes quality not as per demanded standards will invite disqualification from their participation. Request for Proposal documents will be issued to the vendors fulfilling the eligibility criteria. Last date of receipt of application is **09 November 2026.**

2.7 Bids shall be evaluated both in terms of quality as well as quoted price ie as per quality & cost based selection(QCBS) methodology.

Commandant
Officers Training Academy, Gaya

प्रपत्र VII

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा-**परियोजना पथ प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत मणिका (एस0एच0-88) से विक्रमपुर (एन0एच0-322) भाया श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज नरघोघी, सरायरंजन बाईपास पथ के निर्माण** के लिए राजस्व ग्राम-**सारंगपुर (घ)**, थाना नं0-**279**, राजस्व थाना-**समस्तीपुर** अंचल-**मोरवा**, जिला-**समस्तीपुर** में रकवा **0.388** एकड़ अर्थात् **0.1570** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन भू-खंड है जो मापक माप से कमोवेश **0.388** एकड़ अर्थात् **0.1570** हेक्टेयर है और ग्राम-**सारंगपुर (घ)**, थाना नं0-**279**, राजस्व थाना-**समस्तीपुर** अंचल-**मोरवा**, जिला-**समस्तीपुर** में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1		6225	निजी	आवासीय	0.07	मलेजा पोद्दार पे0 स्व0 विश्वनाथ पोद्दार वो हरिचन्द्र पोद्दार वो हरेराम पोद्दार पे0 स्व0 जामुन पोद्दार	सीट-6	सड़क	खेसरा सं0-6224	सीट-6
2		6224	निजी	आवासीय	0.023	सुनील कुमार झा वो अनिल कुमार झा वो फेकन झा वो सोनेलाल झा पे0 स्व0 शोभाकांत झा वो सुधीर कुमार झा पे0 स्व0 नवल किशोर झा	खेसरा सं0-6423	सड़क	सीट-6	खेसरा सं0-6225
3		6230	निजी	आवासीय	0.024	अरूण पोद्दार पे0 स्व0 जदु पोद्दार	सड़क	खेसरा सं0-6229	खेसरा सं0-6227	सीट-6
4		6227	निजी	आवासीय	0.025	राम सागर राय पे0 स्व0 चलितर राय	सड़क	खेसरा सं0-6228	खेसरा सं0-6237	खेसरा सं0-6230
5		6237	निजी	आवासीय	0.017	शिवजी राय पे0 स्व0 हरेकृष्ण राय	सड़क	खेसरा सं0-6236	खेसरा सं0-6238	खेसरा सं0-6227
6		6238	निजी	आवासीय	0.012	शिवजी राय पे0 स्व0 हरेकृष्ण राय	सड़क	खेसरा सं0-6236	खेसरा सं0-6239	खेसरा सं0-6237
7		6239	निजी	आवासीय	0.014	शिवजी राय पे0 स्व0 हरेकृष्ण राय	सड़क	खेसरा सं0-6245	खेसरा सं0-6240	खेसरा सं0-6238
8		6240	निजी	आवासीय	0.005	शिवजी राय पे0 स्व0 हरेकृष्ण राय	सड़क	खेसरा सं0-6241	खेसरा सं0-6241	खेसरा सं0-6239
9		6241	निजी	आवासीय	0.01	शिवजी राय पे0 स्व0 हरेकृष्ण राय	सड़क	खेसरा सं0-6243	खेसरा सं0-6277	खेसरा सं0-6240
10		6277	निजी	आवासीय	0.018	अवध नारायण लाल वो हरि नारायण लाल पे0 स्व0 जगदम्बी लाल वो सीयाराम राय पे0 रामदेव राय	सड़क	खेसरा सं0-6276	खेसरा सं0-6278	खेसरा सं0-6241
11		6278	निजी	आवासीय	0.015	सियाराम राय पे0 रामदेव राय वो अशर्फी राय वो कामेश्वर राय पे0 रामदेव राय	सड़क	खेसरा सं0-6279	खेसरा सं0-6280	खेसरा सं0-6277
12		6280	निजी	आवासीय	0.02	जुगेश्वर राय वो राम प्रकाश राय पे0 बिहारी राय	सड़क	खेसरा सं0-6272	खेसरा सं0-6281	खेसरा सं0-6278
13		6281	निजी	आवासीय	0.02	रामनारायण राय पे0 बिहारी राय	सड़क	खेसरा सं0-6282	खेसरा सं0-6294	खेसरा सं0-6280
14		6294	निजी	आवासीय	0.035	हरिहर राय पे0 बिरत राय वो सुरेश राय वगैरह पे0 दिपू राय वो अशोक राय वगैरह पे0 नेवा राय	सड़क	खेसरा सं0-6286	सीट-6	खेसरा सं0-6281
15		6036	निजी	आवासीय	0.015	अकलू साह वो नेति लाल साह वो हजारी साह वो मोती साह वो राम बलम साह वो राम जतन साह पे0 सुखदेव साह	सीट-6	सड़क	सीट-6	खेसरा सं0-6037
16		6037	निजी	आवासीय	0.015	अकलू साह वो नेति लाल साह वो हजारी साह वो मोती साह वो राम बलम साह वो राम जतन साह पे0 सुखदेव साह	सीट-6	सड़क	खेसरा सं0-6036	खेसरा सं0-6038
17		6038	निजी	आवासीय	0.0225	सकिन्द्र साह वो शिव कुमार साह वो लखीन्द्र साह वो चंदन साह पे0 रामगीता साह	सीट-6	सड़क	खेसरा सं0-6037	खेसरा सं0-6039
18		6039	निजी	आवासीय	0.0275	अशोक राय वो लालबाबू राय पे0 हदूगी राय वो कामेश्वर राय पे0 रामदेव राय	सीट-6	सड़क	खेसरा सं0-6038	सीट-6

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:- गाँव ...X..... थाना ...X..... थाना सं0 ...X..... अंचल ...X..... एवं जिला ...X..... क्षेत्र ...X..... एकड़

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खादान, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खादान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किये जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

PR- 014282 (Revenue) 2026-27

समाहर्ता, समस्तीपुर

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

बिहार सरकार

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 11(1) के अधीन)

चूंकि समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कन्हौली बलिरामपुर(चादर नं०-1), थाना नं०- 326, अंचल-पारू, जिला-मुजफ्फरपुर में कुल-0.8581 एकड़ यानि 0.3472 हे० भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना-मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गंडक नदी पर फतेहाबाद (पारू ब्लॉक) से चंचलिया (तरैया ब्लॉक, सारण) तक उच्चस्तरीय पी.एस.सी. बॉक्स सेल सुपरस्ट्रक्चर मेन पुल (स्पेन 38×60मी०) एवं पहुँच पथ में 3 अदद् (5×30मी०) पी.एस.सी. सुपरस्ट्रक्चर पुल निर्माण कार्य अपेक्षित है, इसलिए राज्य, एस०आई०ए० (SIA) इकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार संक्षेप में है कि:- यह परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इसके निमित्त भू-अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है। भू-अर्जन के कारण कुल xx परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गये है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कन्हौली बलिरामपुर(चादर नं०-1), थाना नं०-326, अंचल-पारू, जिला-मुजफ्फरपुर में कुल-0.8581 एकड़ यानि 0.3472 हे० मानक माप का भू-खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, का अर्जन किया जाता है:-

क्र०	खाता संख्या	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हित्बद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खंड संख्या) उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99	290	सरकारी	दो फसला (भीठ)	0.4000	अनावाद बिहार सरकार	अंश खेसरा 290	अंश खेसरा 290	284	सोहागपुर
2	38	284	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.2625	पंचम सिंह पिता-वसगीत सिंह वो मु० बनारस कुॅअर पति-बनारसी सिंह वो रामसुरत सिंह पिता-ब्रहमदेव सिंह, सा०-मद० छपरा	अंश खेसरा 284	अंश खेसरा 284	285 एवं अंश खेसरा 284	290
3	20	285	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0566	जमुना सिंह पिता-जगधारी सिंह वो सरजू सिंह वो दुर्गा सिंह पिता-सीताराम सिंह वो रघुनाथ सिंह पिता-विध्या सिंह, सा०- फतेहाबाद	279, 280	अंश खेसरा 285	फतेहाबाद	
4	30	279	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0670	मु० दुखित कुॅअर पति-राजवंशी सिंह सा०- फतेहाबाद	अंश खेसरा 279	285	फतेहा बाद	280
5	68	280	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0640	मु० रामवति कुॅअर पति-जोखन राय एवं पुनीत साह पिता- रकत साह सा०- फतेहाबाद	अंश खेसरा 280	285	279	281
6	68	281	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0080	मु० रामवति कुॅअर पति-जोखन राय एवं पुनीत साह पिता- रकत साह सा०- फतेहाबाद	281	284	280	284
				कुल रकवा-	0.8581					

(शून्य दशमलव आठ पाँच आठ एक एकड़)

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013),की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता-सह-समुचित सरकार ,मुजफ्फरपुर उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए,अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नही करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हित्बद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

समाहर्त्ता-सह-समुचित सरकार,
मुजफ्फरपुर

PR. No. 014401 (District) 2026-27

सुरक्षित जीवन अपनाओ, अपनी नियमित एच.आई.वी. जाँच कराओ।

बिहार सरकार

समाहरणालय, नवादा

(मद्य निषेध एवंउत्पाद विभाग)

अल्पकालीन आम नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पादवादों में राज्यसात किये गये निम्नलिखित वाहनों को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् आम नीलामी (Public Auction) क्रमशः दिनांक **13.11.2026, 20.11.2026, 26.11.2026** को समाहरणालय, नवादा में 11:00 बजे पूर्वाहन से की जायेगी। नीलामी योग्य वाहनों की सूची निम्नवत है :-

क्र. सं.	थाना का नाम	थाना काण्ड संख्या	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या	निबंधन का वर्ष	इंजन संख्या	चेचिस संख्या	मूल्यांकित राशि	अग्रधन की राशि	वाहन की अब स्थिति	वाहन मालिक का विवरणी
89	गोविन्दपुर थाना	289/25	BOLERO PICKUP	WB27E/4355 (WB37E/4355)	29-Mar-23	JAP1A13260	MA1ZU2TN KP1A15720	600000.00	150000.00	गोविन्दपुर थाना	धर्मेन्द्र कुमार, पिता-छोटे लाल पंडित, ग्राम-मंगलपुर कुमार पारा, पोस्ट-मंगलपुर, थाना-रानीगंज, जिला-पश्चिम बुरदवान, (पश्चिम बंगाल)-713347
90	उत्पाद थाना, नवादा	1035/23	MARUTI SUZUKI SWIFT DZIRE CAR	WB06C/0680	11-Jun-09	G13BBN5228 42 (D13A501373 3)	MAJEKE42S 00210874 (MA3FSEB1 S00463223)	50000.00	12500.00	रजौली चेक पोस्ट	गौतम गांगुली, पिता-डी.एन गांगुली, ग्राम-63/1 प्रिंस बख्तियार शाह, थाना-कोलकता, पश्चिम बंगाल
91	उत्पाद थाना, नवादा	153/25	SANTRO CAR	WB02R/358 (WB38M/2021)	29-Sep-03	G4HD3C4263 2	MALAB51H R3M364696	30000.00	7500.00	बुधौल	सुरेन्द्र सिंह छावड़ा, पिता- स्व० एम० एस० छावड़ा, ग्राम-बगोदर, थाना- गिरिडिह, जिला- गिरिडिह, (झारखण्ड)-805125

विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अधीक्षक मद्य निषेध, नवादा से सम्पर्क किया जा सकता है nawada.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

(कृते समाहर्त्ता, नवादा)
अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा

PR. No. 014219 (Excise) 2026-27

सुरक्षित जीवन अपनाओ, अपनी नियमित एच.आई.वी. जाँच कराओ।